न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख हुक्म

राजकुमार बनाम कमला देवी
मु.नं. 181/22

28/1/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते बहस प्रा.पत्र. T.I दिनांक 21.2.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

21.2.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7/3/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25.4.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

25.4.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
87/2022	20.12.2022	25.04.2025

बउनवान

1. राजकुमार पुत्र स्व. श्री किशनलाल, निवासी राजगढ, तहसील महवा, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. कमला देवी पत्नि स्व. भीकम, निवासी राजगढ़, तहसील महवा, दौसा।
2. बनवारी पुत्र स्व. भीकम, निवासी राजगढ़, तहसील महवा, दौसा।
3. गुड्डी पुत्री स्व. भीकम पत्नि समयसिंह, निवासी नेवाडी, तहसील भुसावर, हाल रिहायस महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के पीछे, मण्डावर रोड, महवा, दौसा।
4. पिंकल उर्फ प्रियंका पुत्री स्व. भीकम पत्नि तिमनसिंह, निवासी नेवाडी, तहसील भुसावर, हाल रिहायस महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के पीछे मण्डावर रोड, महवा, दौसा।
5. रेशम पुत्री स्व. भीकम पत्नी संतोष, निवासी नेवाडी, तहसील भुसावर, हाल रिहायस महात्मा गाँधी पीजी कॉलेज के पीछे मण्डावर रोड, महवा, दौसा।
6. सुनीता पुत्री स्व. भीकम पत्नी नन्दराम, निवासी नेवाडी, तहसील भुसावर, हाल रिहायस महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के पीछे मण्डावर रोड, महवा, दौसा।
7. माया पुत्री स्व. श्री किशनलाल पत्नी कैलाश निवासी ढंड तहसील महवा, दौसा।
8. गीता पुत्री स्व. किशनलाल पत्नि महेश चन्द, निवासी ढंड, तहसील महवा, दौसा।
9. मिश्री देवी पत्नी स्व. किशनलाल, निवासी राजगढ़, तहसील महवा, दौसा।
10. युवराज सिंह राजपूत पुत्र बाबूसिंह, निवासी बदनपुरा, तहसील मण्डावर, दौसा।
11. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लेण्ड होल्डर, तहसीलदार मण्डावर, दौसा।
12. उप पंजीयक तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री महेन्द्र कुमार शर्मा।
2. अप्रार्थी सं. 2 – बनवारी पुत्र स्व. भीकम।
3. अप्रार्थी सं. 10 – युवराज सिंह राजपूत पुत्र बाबूसिंह।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी/ सायल की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी खसरा सं. 113 रकबा 0.79 हैक्टे. स्थित ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर के तन में स्थित

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

है। इस खसरा सं. का पुराना खसरा सं. 51 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा है। इस खसरा सं. की आराजी को पूर्व खातेदार महावीर प्रसाद पुत्र श्री रामजीलाल महाजन (जैन) निवासी रसीदपुर, तहसील महवा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रार्थी के पिता स्व. किशनलाल ने दिनांक 03.05.1978 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। सायल के पिता स्व. किशनलाल उक्त आराजी को बतौर खातेदार काश्त करते चले आ रहे थे तथा राजस्व लगान सरकार को अदा कर रहे थे जिनका दिनांक 04.10.2022 को स्वर्गवास हो गया। सायल/वादी के मृतक पिता किशनलाल का सजरा निम्न प्रकार है :–

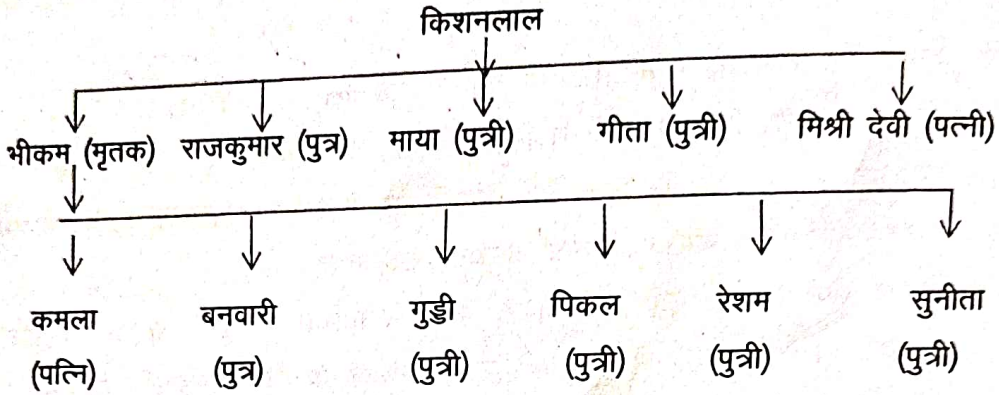

सायल/वादी के पिता स्व. किशनलाल ने अपनी स्व अर्जित खातेदारी की आराजी खसरा सं. 113 रकबा 0.79 हैक्टे. की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 17.07.2012 को सायल के हक में उप पंजीयक महवा जिला दौसा के यहाँ करा दी। इस रजिस्टर्ड वसीयत के समय उसका ज्येष्ठ पुत्र मृतक भीकम (गैरसायल सं. 1 का पति व पिता गैरसायलान सं. 2 लगायत 6) मौजूद था जिसके रजिस्टर्ड वसीयत पर हस्ताक्षर मौजूद हैं। सायल/वादी के बड़े भाई भीकम का दिनांक 09.02.2015 को स्वर्गवास हो गया जिसने अपने पीछे गैरसायल सं. 1 लगायत 6 को जीवित छोडा है। सायल/वादी के पिता श्री किशनलाल का दिनांक 04.10.2022 को स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद एकमात्र सायल को आराजी मुतजिक्रा में खातेदारी अधिकार कानून प्राप्त हो गये। गैरसायल सं. 1 ता 6 की नीयत में आराजी खसरा सं. 113 में अपना हिस्सा बेचने की नीयत काफी वर्षों से रही है। गैरसायल सं. 1 ता 6 व गैरसायल सं. 2 के पुत्र हिमांशु ने षडयंत्रपूर्वक उक्त आराजी में खातेदारी पाने बाबत दिनांक 06.04.2011 को एक दावा नम्बरी 48/2011 बाबत घोषणा खातेदारी, तकास्मा, स्थाई निषेधाज्ञा का व सायल/वादी व उसके भाई भीकम व सायल/वादी के पिता किशनलाल आदि के विरूद्ध न्यायालय एसडीओ महवा में पेश किया था कि जो दिनांक 29.06.2012 को खारिज हो गया। इस दावे को पुनः नम्बर पर लेने हेतु एक प्रार्थना पत्र गैरसायलान/वादीगण हिमांशु वगै. ने पेश किया था, वह भी दिनांक 07.05.2013 को खारिज हो गया तथा इस दावे के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी दिनांक 29.06.2012 को ही खारिज हो गया। प्रतिवादिया सं. 1 श्रीमति कमला देवी व उसके वारिसान ने पुनः दूसरा दावा न्यायालय एसडीओ साहब महवा में उनवानी कमला वगै. बनाम किशनलाल वगै. सायल/वादी व उसके पिता किशनलाल वगै. के विरूद्ध घोषणा खातेदारी, तकारमा व स्थाई निषेधाज्ञा का विवादित खसरा नं. 113 बाबत पेश किया था, वह भी दिनांक 30.09.2019 को खारिज हो गया। गैरसायलान/प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की येन केन प्रकारेण आराजी वादग्रस्त में खातेदारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

खिलाफ कानून प्राप्त करने की नीयत रही है जबकि गैरसायलान का आराजी मुतजिक्रा वादपत्र से कोई उनका संबंध कभी भी नहीं रहा है। आराजी मुतजिक्रा वादपत्र दिनांक 03.05.1978 से सायल/वादी के पिता स्व. किशनलाल की स्व अर्जित आराजी रही है। सायल/वादी का प्राईमा फेसी केस बखूबी साबित है। सायल/वादी के पिता किशनलाल का दिनांक 04.10.2022 को स्वर्गवास हो जाने से गैरसायल सं. 1 ता 6 ने गैरसायल सं. 11 व उसके राजस्व कर्मचारियों से षड्यंत्र रचकर दिनांक 22.11.2022 को फर्जी एवं नुमायसी तरीके से बखिलाफ कानून किशनलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र के स्थान पर मृतक भीकम का मृत्यु प्रमाण पत्र व शपथ पत्र सायल सं. 2 बनवारी का लेकर नामान्तकरण खोलकर सायल की बिना जानकारी में लाये। आनन फानन में ही गैरसायलान/प्रतिवादीगण 01 ता 06 के नाम विवादित आराजी में 1/5 हिस्से की खातेदारी व अन्य गैरसायलान/प्रतिवादीगण सं. 07 ता 09 व सायल के नाम हिस्सानुसार गलत खातेदारी कर दी जबकि सायल/वादी ही रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। सायल/वादी ही विवादित आराजी पर बतौर खातेदार काबिज काश्त है। सायल/वादी ने आराजी वादग्रस्त में सरसों की फसल काश्त की है जो सरसब्ज हालत में है। गैरसायलान 1 ता 10 का आराजी वादग्रस्त से कोई लेना देना किसी प्रकार का नहीं हैं। सायल/वादी रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर विवादित आराजी की खातेदारी कराने का अधिकारी है। सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में है। गैरसायलान 01 ता 06 के नाम 1/5 हिस्से की खातेदारी खिलाफ कानून होने के पश्चात सायल 01 ता 06 ने षड्यंत्र पूर्वक आराजी खसरा सं. 113 में से अपना समस्त 1/5 हिस्सा गैरसायल सं. 10 युवराज सिंह राजपूत को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.11.2022 को विक्रय कर दिया जबकि आराजी वादग्रस्त व उसके किसी हिस्से पर गैरसायलान 1 ता 9 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा ना ही आज है। गैरसायल/प्रतिवादी सं. 10 युवराजसिंह उक्त विक्रय पत्र दिनांक 21.11.2022 के आधार पर आराजी वादग्रस्त पर अवैध रूप से लठठ पैसे की ताकत से कब्जा करने की फिराक में है। सायल/वादी की सहमति के बिना किसी व्यक्ति को गैरसायल सं. 01 ता 06 को या अन्य किसी को आराजी वादग्रस्त उसके किसी हिस्से को रहन व ट्रांसफर करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। गैरसायलान/प्रतिवादीगण 01 ता 06 ने षडयंत्र रचकर विवादित आराजी में 1/5 हिस्से की खातेदारी कराकर गैरसायल सं. 10 के नाम रजिस्टर्ड विक्रयपत्र लिखकर कानूनी भूल की है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 21.11.2022 कानून के विरूद्ध होने से बमुकाबले सायल/वादी एब–इनिशियो नल एण्ड बोइड है तथा सायल के अधिकारों तक शून्य है। गैरसायल सं. 10 युवराज सिंह एब–इनिशियो नल एण्ड बोइड विक्रयपत्र दिनांक 21.11.2022 के आधार पर गलत एवं फर्जी तरीके से अपने नाम आराजी वादग्रस्त में 1/5 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में खिलाफ कानून दर्ज कराने पर आमादा हैं। गैरसायल सं. 10, गैरसायल सं. 01 लगायत 10 को साथ लेकर दिनांक 10.12.2022 को विवादित आराजी पर आ धमका। उस समय सायल/वादी विवादग्रस्त आराजी पर अपनी सरसों की फसल की देखभाल कर रहा था। गैरसायल सं. 10 ने आते ही सायल/वादी को धमकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

दी कि वह विवादित आराजी के 1/5 हिस्से की खातेदारी कराकर तुरन्त ही अपने 1/5 हिस्से पर कब्जा करके रहेगा। इस पर सायल/वादी ने गैरसायल सं. 10 को काफी समझाया परन्तु वह अपनी धमकी पर कायम रहा। इस कारण सायल/वादी को गैरसायलान/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र/वादपत्र दायर करना लाजिम हुआ है। दावा गैरसायलान 01 लगायत 10 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है क्योंकि यदि गैरसायलान 01 लगायत 10 ने गलत खातेदारी के आधार पर आराजी मुतजिक्रा मद नं. 2 प्रार्थना पत्र को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, वय या ट्रांसफर कर दिया अथवा गलत रूप से हुयी खातेदारी के आधार पर विवादग्रस्त आराजी या उसके किसी हिस्से पर कब्जा काश्त कर लिया तो सायल को अकथनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। अतः अर्ज है कि गैरसायलान को दौराने दावा आराजी मुतजिक्रा का किसी प्रकार से रहन, वय या हस्तान्तरण नहीं करें, ना ही विवादग्रस्त आराजी या उसके किसी हिस्से पर कब्जा करें, ना ही किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत करें, ना ही सायल को बेदखल करें जिससे हकूक सायल को नुकसान पहुंचे ऐसा कार्य गैरसायलान ना तो स्वयं करें, ना किसी अन्य से करावें।

2. अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.12.2022 इस आशय की जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 113 रकबा 0.79 हैक्टे. को किसी प्रकार से रहन, वय या हस्तान्तरण नहीं करें, राजस्व रिकॉर्ड व वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद अप्रार्थी सं. 1, 3 लगायत 5, 6 लगायत 9, 11, 12 अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जवाब का अवसर बन्द किया।

4. अप्रार्थी सं. 10 ने प्रार्थना पत्र के अधिकांश कथनों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि विवादित आराजी में जवाबदाता का कब्जा एवं रिपोर्ट में रजिस्ट्री अनुसार है। उक्त जमीन में विक्रेतागण के हिस्सेनुसार जमीन पर जवाबदाता का वास्तविक में मौका पर कब्जा है, पहले उक्त जमीन किशनलाल के नाम होने से राजकुमार और भीकम योगी का बराबर का अधिकार था मगर भीकम की मृत्यु के बाद उक्त जमीन पर 1/2 हिस्से पर विक्रेतागण का कब्जा था और इनका कब्जा होने से क्रेता (जवाबदाता) का 1/2 भाग पर काबिज हो गया है। जवाबदाता द्वारा जो जमीन क्रय की, उस हिस्से पर पहले गैरसायल सं. 1 लगायत 6 का कब्जा था और अब जवाबदाता का स्वयं का है। जवाबदाता द्वारा खातेदारों से ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है जिसमें किसी भी प्रकार की कानूनी भूल नहीं की है। खातेदारों को उनके हिस्से की विक्रय राशि का भुगतान रजिस्ट्री अपने नाम करवायी और कानूनन अपने नाम उक्त आराजी का नामान्तरकरण तस्दीक करवाना चाहता है जो विधि संगत है। जवाबदाता तथा सायल की

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

दिनांक 10.12.2022 को कहीं पर भी किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं हुई है, इसलिये वाद हेतुक के अभाव में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। सायल द्वारा गलत तथ्यों को संकलित कर यह वादपत्र तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया है, इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। यदि जवाबदाता को टी.आई. से पाबन्द किया गया तो जवाबदाताओं को अकथनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी सूरत में संभव नहीं होगी। जवाबदाता एक सद्भाविक क्रेता है जिसने खातेदारों को उनके हिस्से के मुताबिक विक्रय धन राशि अदा कर अपने नाम आराजी की रजिस्ट्री करवायी है। जवाबदाता द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि या विधिक भूल नहीं की है, रजिस्ट्री करवायी है जो स्टाम्प ड्यूटी व राजस्व शुल्क का भुगतान कर अपने नाम विधिवत तरीके से विक्रय पत्र उप. पंजीयक कार्यालय मण्डावर में तस्दीक करवाया है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थना पत्र के अधिकांश कथनों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि स्व. किशन लाल जवाबदाता बनवारी का सगा बाबा है जो बनवारी के पिता भीकम व बनवारी का चाचा राजकुमार का पिता है। स्व. किशनलाल राजकुमार के नाम वसीयत क्यों करवाता, यह एक षडयंत्र के तहत राजकुमार द्वारा यह वसीयत करवायी जिसका हमको कभी इल्म नहीं होने दिया जिसका मुझ जवाबदाता को पता ही नहीं था, न हीं अब तक राजकुमार द्वारा वो बताई गयी है। जब स्व. किशनलाल का जवाबदाता बनवारी पोता है और जवाबदाता बनवारी का स्व. पिता भीकम मौजूद था तो स्व. किशनलाल को यह वसीयत करवाने की आवश्यकता क्यों पडेगी। इसलिये कानूनन स्व. किशनलाल द्वारा छोडी गयी आराजी में जवाबदाता को बराबर का कानूनन अधिकार है और मौका पर भी बहुत पहले से खसरा नंबर 113 रकबा 0.79 हैक्टे पर जवाबदाता का आधे हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है। जवाबदाता स्व. किशनलाल का सगा पौत्र है, इसलिये एक वंश बेल होने की वजह से स्व. किशनलाल द्वारा छोडी गयी जमीन पर जवाबदाता का बराबर का अधिकार है। सायल द्वारा जो नुमायशी वसीयत अपने नाम करवायी है, वह अवैधानिक तरीके से करवायी है क्योंकि जब नुमायशी वसीयत करवायी गयी, उस समय जवाबदाता दुनिया में मौजूद था। ऐसी सूरत में जवाबदाता का स्व. किशनलाल बाबा होने की वजह से उक्त जमीन पर हिस्सेनुसार अधिकार था और राजकुमार को वसीयत तस्दीक करवाने का कानूनी अधिकार मौजूद नहीं था। खसरा नंबर 113 में जवाबदाता अपना अधिकार रखता है क्योंकि यह जमीन जवाबदाता के बाबा के नाम की है और जब अपने नाम नामान्तरकरण खुलवाया, जब तक जवाबदाता को इस बात का इल्म भी नहीं था कि राजकुमार द्वारा नुमायशी वसीयत करवा रखी है। राजकुमार जवाबदाता का सगा चाचा लगता है, जवाबदाता ने यह कभी यह नहीं सोचा कि राजकुमार इतना बडा छल या धोखा करेगा और बाबा से वसीयत करवा लेगा। यह नुमायशी वसीयत राजकुमार द्वारा स्वयं ने षडयंत्रपूर्वक छल से कूटरचित तैयार करवायी है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त और मानवता के सिद्धान्त मुताबिक खसरा नंबर 113 में मेरा बराबर का अधिकार है, इसलिये जवाबदाता द्वारा उक्त जमीन का हिस्सा बेचकर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

कोई गलत कार्य नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य है। युवराज सिंह एक सदभाविक क्रेता है जिसने विधिवत रजिस्ट्री उप पंजीयक कार्यालय मण्डावर में करवाकर अपने नाम राजस्व रिकोर्ड में नामान्तरकरण तस्दीक करवाना चाहता है जो कानून संगत है मगर सायल बेवजह अडंगा लगाकर ऐसा करवाने नहीं देना चाहता है। युवराज द्वारा जो आराजी क्रय की है, उस पर काबिज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है और सायल से हमारी कोई वार्ता दिनांक 10.12.2022 को नहीं हुई है। यदि जवाबदाता को टी.आई. से पाबन्द किया गया तो जवाबदाता को अकथनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी सूरत में संभव नहीं होगी। सायल जवाबदाता एवं जवाबदाता के पूरे परिवार को धोखा देना चाहता है। इसलिये स्व. किशनलाल, जो जवाबदाता का बाबा लगता है, उसके नाम से नुमायशी वसीयत तैयार कर ली या करवाली, जब इसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था जिसका प्रकटीकरण अब किशनलाल के चले जाने व बनवारी द्वारा अपने नाम खसरा नंबर 113 का नामान्तरकरण तस्दीक करवाने पर किया गया जिसका किसी को इल्म नहीं था। जवाबदाता द्वारा जो नामान्तरकरण खसरा नंबर 113 का अपने नाम व अपने परिवार के नाम हिस्सेनुसार खुलवाया गया है जो कानूनी प्रक्रिया अपनाकर खुलवाया गया जो अमूमन हर मृतक के वारिसान खुलवाते हैं। जवाबदाता के उपर कर्जा हो गया तथा अन्य बिजनिश करना चाहता है, इसलिये अपना हिस्सा का सौदा कर लिया जो भी कानूनन संगत किया जिसमें कोई छल छलावा नहीं किया है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर दस्तावेजों यथा – जमाबन्दी संवत 2069–2072 वाके ग्राम पालौदा प्रतिलिपि दिनांक 01.02.2023, मुकदमा नंबर 22/15 उनवानी कमला बनाम किशन लाल वगै. दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा प्रतिलिपि दिनांक 18.01.2023, मुकदमा नंबर 80/22 उनवानी हिमांशु वगै. बनाम राजू वगै. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रतिलिपि, मुकदमा नंबर 93/22 उनवानी हिमांशु वगै. बनाम राजू वगै. दावा बाबत घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिलिपि, मुकदमा नंबर 46/10 उनवानी कमला बनाम भीकम प्रार्थना पत्र धारा 125 सीआरपीसी न्यायालय न्यायिक मजि. महवा प्रतिलिपि दिनांक 20.01.2023, एफआईआर नंबर 350/22 थाना मण्डावर की प्रतिलिपि प्रस्तुत की।

7. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

8. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार, प्रार्थी विवादित आराजी खसरा सं. 113 के 1/5 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार है। उक्त आराजी प्रार्थी के पिता किशनलाल की स्व अर्जित सम्पति होना तथा उक्त विवादित आराजी किशनलाल के द्वारा प्रार्थी के नाम वसीयतनामा लिखा जाना कथन किया है जिसको अप्रार्थी सं. 2 तथा अप्रार्थी सं. 10 के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अस्वीकार किया है तथा वसीयतनामा की प्रामाणिकता को संदिग्ध बताया गया है। उक्त वसीयतनामा की प्रामाणिकता पर निर्णय सम्बद्ध दावा में साक्ष्य उपरान्त गुणावगुण पर ही किया जा सकेगा। प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का सह खातेदार है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है।

9. उक्त विवादित आराजी बाबत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर में विचाराधीन प्रकरण उनवान राजकुमार बनाम कमला देवी (मुक़दमा नं. 17/2023) तथा सिविल न्यायालय तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट महवा में विचाराधीन प्रकरण उनवान राजकुमार योगी बनाम कमला देवी वगै. (मुक़दमा नं. 01/2023) में न्यायालय के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश जारी किये हुये है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र प्रार्थी के द्वारा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान यदि अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित आराजीयात में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में कब्ज़ा कर लिया जाता है अथवा उक्त भूमि का बेचान दीगर व्यक्ति को किया जाता है तो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होना संभावित है। इससे वाद बहुलता तथा मौके

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

पर विवाद बढ़ना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी सम्बद्ध वाद पत्र के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 के द्वारा किये गए रजिस्ट्रीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.11.2022 को शून्य घोषित करवाना चाहता है तथा यदि अप्रार्थीगण के द्वारा इस दौरान विवादित आराजी के किसी हिस्से का बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

10. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक, वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

11. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम पालौदा पटवार हल्का धौलखेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 113 रकबा 0.79 हैक्टे. के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20.10.2022 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, विवादित आराजी में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की भूमि में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी बेजा ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से ही करावें। मौके एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

12. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 25.04.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)